उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

ISO 9001 : 2008
CERTIFIED

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
पीबीएक्स संख्या- 2720671, 2720665, 2720670 Fax: 2720846

संख्या- 3902/प्रब(का)/ई(आर)1/रानिनि/2013 दिनॉक 03 दिसम्बर, 2013

विज्ञप्ति

उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु निम्नलिखित पदों को विज्ञापित किया जा रहा है।

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान(रू0 में)	श्रेणी				कुल रिक्तियॉ	योग्यता एवं अनुभव
			अनारक्षित	अ.पि. वर्ग	अनु. जा.	अनु. ज.जा.		
1	सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल)	15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400	24	13	10	01	48	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक
2	सहायक स्थानिक अभियन्ता (विद्युत)	15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400	05	03	02	00	10	विद्युत इंजीनियरिंग में स्नातक
3	उप अभियन्ता (सिविल)	9300-34800 ग्रेड वेतन रू 4200	50	29	18	02	99	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
4	सहायक लेखाकार	5200-20100 ग्रेड वेतन रू0 2800	35	00	00	00	35	बी.काम + 03 वर्ष का अनुभव

उक्त रिक्तियों में से बिकलांगजन हेतु सहायक स्थानिक अभियन्ता(सिविल) का 01 पद (ओ0ए0/ओ0एल0/पी0डी0), उप अभियन्ता (सिविल) के 03 पद (ओ0ए0/ओ0एल0/पी0बी0/पी0डी0) तथा सहायक लेखाकार का 01 पद (ओ0ए0/ओ0एल0) आरक्षित हैं।

सामान्य निर्देश :-

1. उपरोक्त पद अस्थायी है तथा रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
2. अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 22/16/92-टीसी-।।।/का-2/2002 कार्मिक अनुभाग-2, दिनॉक 22 अक्टूबर, 2002 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो, ही मान्य होगा।
5. उक्त पद हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनॉक **01.07.2013** को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य अर्ह मानी जाएगी। विकलांगजन के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों, निर्माण निगम के नियमित कार्मिकों एवं राज्य के कर्मचारियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। किसी भी प्रकरण में आयु हेतु मात्र एक ही छूट अनुमन्य होगी।

6. आवेदन पत्र में यथा स्थान नवीनतम पासपोर्ट साइज का राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो चिपकायें। इसके अतिरिक्त 03 पासपोर्ट साइज के फोटो अतिरिक्त रूप से संलग्न करें।
7. उक्त सभी पदो के लिए आवेदन शुल्क सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रू0 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 500/- (रूपये पॉच सौ मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में भेजना होगा, जो कि **उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड** के पक्ष में **लखनऊ** पर देय होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम, पिता का नाम तथा पता अंकित करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ 10x23 सेमी साइज के 2 लिफाफे जिन पर अभ्यर्थी का पूरा पता लिखा हो और पंजीकृत मूल्य के डाक टिकट रू0 30/- लगे हों भेजे जायें।
9. अभ्यर्थी को आयु के प्रमाण स्वरूप हाईस्कूल/समकक्ष का मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित शैक्षिक व अन्य प्राविधिक, अनुभव तथा योग्यता की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न करें।
11. अभ्यर्थी को किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. अभ्यर्थी को विवाहित/ अविवाहित होने की सूचना प्रस्तुत करना होगा। ऐसे विवाहित पुरूष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हों तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. द्वारा उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी गई हो।
13. नियुक्ति प्राधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह बिना कारण बताये प्राप्त आवेदन पत्रों में से किसी एक अथवा सभी प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दे। अभ्यर्थी के अर्ह अथवा अनर्ह होने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
14. आवेदन पत्र के विवरण में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा आवेदन पत्र अपूर्ण पाया जाता है तो बिना कारण बताये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है जिसकी सूचना अलग से देय नहीं होगी।
15. आवेदन पत्र **अतिरिक्त महाप्रबन्धक (कार्मिक), उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि., विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ** के नाम भेजे जाये तथा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2013 होगी। अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर आवेदित पदनाम अंकित करें। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र अलग-अलग लिफाफे में भेजे जायेंगे तथा आवेदन शुल्क भी अलग-अलग रहेगा।
17. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप में विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
18. मात्र न्यूनतम निर्धारित अर्हताएं आदि की पूर्ति होने से अभ्यर्थी साक्षात्कार में बुलाये जाने के पात्र नहीं हो जायेंगे।
19. चयन लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा जिसकी तिथि व समय की सूचना पात्र अभ्यर्थियों को अलग से डाक द्वारा भेजी जायेगी एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. की वेबसाईट www.uprnn.co.in पर भी उपलब्ध होगी।
20. परीक्षा / साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को अपने व्यय पर उपस्थित होना होगा।

21. निगम प्रबन्धन को किसी भी पद के परीक्षा/साक्षात्कार एवं चयन को बिना किसी कारण बताये निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।
22. अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोग विचाराधीन होने पर अथवा अभ्यर्थी के सजायाफ्ता होने की सूचना दिया जाना अनिवार्य है।
23. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को समस्त चयन/परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है तथा उसके विरूद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
24. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को अपने व्यय पर ही नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जायेगी।
25. अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तकनीकी अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका, चरित्र प्रमाण पत्र, अन्य विभाग में कार्यरत होने की दशा में नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, विकलांग होने की दशा में मेडिकल सर्टिफिकेट मूलरूप में प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा तथा अनुपयुक्त मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
26. दर्शाई गई रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती की कार्यवाही एक साथ न करके किश्तों में भी की जा सकती है।
27. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र, लखनऊ ही मान्य होगा।
28. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जानकारियां उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. की वेबसाईट www.uprnn.co.in पर उपलब्ध रहेगी।

ह0/-

प्रबन्ध निदेशक

उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड